रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 1973/अग्रहायण 26, 1895

No. 301] NEW DELHI, MONDAY DECEMBER 17, 1973/AGRAHAYANA 26, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

ORDER

New Delhi, the 17th December 1973

G.S.R. 529(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Taking over of Management) Act, 1973 (57 of 1973), the Central Government hereby appoints, with immediate effect, Shri Sujit Banerji, Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Heavy Industry, as the Custodian in relation to the undertakings of the two companies, the management of which has vested in the Central Government under sub-section (1) of section 3 of the said Act.

[No. 3-14/73-HM.II]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1973

जी० एस० आर० 529(अ).—केन्द्रीय सरकार बर्न कंपनी एण्ड इण्डियन स्टेंडर्ड वैगन कंपनी (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 57) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सुजित बनर्जी, उप-सचिव, भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय को तत्काल से दोनों कंपनियों के उपक्रमों के, जिनका प्रबन्ध उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, सम्बन्ध में अभिरक्षक नियुक्त करती है।

[सं० 3-14/73-एच० एम० II]

शि० मो० घोष, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973